

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

// निविदा सूचना //

क्रमांक ³⁴⁴ / निविदा / लोक / 2017-18

राजनांदगांव दिनांक 18/5/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी(द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग में लागू भवन/रोड एस.ओ.आर.01.01.2015 अद्यतन संशोधन सहित दर के आधार पर फार्म "ए" मुहरबंद निविदायें को लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाऊनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

3. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
4. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

6/6/2017 शाम 5.00 बजे तक
8/6/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र	कार्य का नाम	राशि लाख में	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये में	समवाधि
1	वार्ड न.38 के पार्षद निधि से पी.सी.सी.कार्य।	1.00	1000.00	ए	300.00	01 माह
2	वार्ड न.04 पुराना ढाबा सामुदायिक भवन के सामने इंटरलॉकिंग कार्य	2.60	3000.00	ए	750.00	02 माह
3	वार्ड न.15 आगनवाड़ी केन्द्र क. 01 में रिपेयरिंग कार्य	0.81	1000.00	ए	300.00	01 माह

शर्तें:

1. शर्तें निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरान्त ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयको से की जावेगी।



नगर पालिक निगम राजनांदगांव

आयुक्त
Bhmk
18/05/17

1. माननीय महाराष्ट्र, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनाएं।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनाएं।
3. महाप्रबंधक लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनाएं।
4. महाप्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनाएं।
5. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनाएं।
6. प्रशासकीय अधिकारी जला सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनाएं एवं विभागीय एवं शासन कार्यालय को सूचनाएं।
7. कार्यालय को सूचनाएं।

प्रतिनिधि :-

पंकज / लोक - 11 / 2016-17

राजनांदगांव दिनांक 8/5/2017

नगर पालिक निगम राजनांदगांव

आयुक्त
Bhmk
18/05/17

7. छात्र शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एक 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अन्वयानुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर एकल निविदादाला को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समस्त प्रकल्प गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. एकल निविदाकार को निर्माण कार्य प्रस्तावित स्थल का फोटो माप, निर्माण कार्य प्रारंभ करने के बाद चल देयक प्रस्तुत करते समय एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य की स्थिति संबंधी फोटो काटे जाय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें बाढ़ कमाल एवं कार्य का नाम अंकित हो।
9. आरूढ़ की गई निविदा विधियों की किसी कारणावधि अवकाश घोषित होने से पूर्व निविदा कार्यावली अभिन कार्यालय में प्रथम किसे जायगी। इसके लिये प्रथम से सूचना जारी नहीं की जायगी।
10. उत्तरीयगढ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि/वार/2013 तथा रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोत्साहित एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा शक्ति का पालन करना होगा।
11. एकल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. एकल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अर्पण करना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी विवाद कि स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव निष्पक्ष अतिम व सर्वमान्य होगा।